(2)

परिशिष्ठ

(देखिय नियम–6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नामः– जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत उमट्टा–बरसाली–मौणा मोटर मार्ग का बैरफाला–काण्डा तक विस्तारीकरण का निर्माण कार्य।

1. (क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद चमोली में चिधान सीाा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अर्न्तगत उमट्टा–बरसाली–मौणा मोटर मार्ग-बैरफाला तक विस्तारीकरण का निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।
(ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न
(ग) परियोजना की लागत।	रू. 41.72 लाख
(घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	दुरस्थ एवं पिछडे क्षेत्र के विकास हेतु यातायात को सुलभ सुविधा उपलब्ध कराया जाना।
(ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जानेके लिए)	लागू नहीं।
(च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	स्थानीय कृषि उत्पादन , बागवानी एवं वानिकी में वृद्धि होने के फलस्वप रोजगार के अवसर बढेगें
2.कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरणः	सिविल भूमि– 0.747 हे. वन पंचायत भूमि 0.158 हे. आरक्षित वन भूमि 1.110 हे.
2.परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	परियोजना के कारण कोई भी व्यक्ति परिवार विस्थापित नहीं होगा।
(क) परिवारों की संख्या	——,,——
(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	——,,——
(ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	——,,——

Scanned by CamScanner

2. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नही)	हॉ,
3. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	संलग्न
4. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावजेजों का व्यौरा।	अनुसूची संलग्न है।

दिनांक.....

स्थान.....

अमीन लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	कनिष्ठ अभियन्ता लो.नि.वि.	सहम्यक अभियन्ता लो.नि.वि.	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. कर्णप्रयाग

प्रस्ताव की कम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

Scanned by CamScanner

भाग–।।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

परियोजना /स्कीम का स्थान– जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अर्न्तगत उमट्टा–बरसाली–मौणा मोटर मार्ग का बैरफाला–काण्डा तक विस्तारीकरण का निर्माण कार्य।

i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड,
ii)	जिला	चमोली
iii)	वन प्रभाग	बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर,
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	2.015 हे.,
v)	वन की कानूनी स्थिति	सिविल/वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि
vi)	हरियाली का घनत्व	– घनत्व
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	– शून्य–
viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	लागू नहीं।
ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	–
x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबन्धित की जाए)	नहीं
xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं
xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेंत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नहीं
8–	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित भूमि न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर प्रस्तावित है।
9–	क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।	नहीं

Scanned by CamScanner

10–	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौराः–	
	i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	–शून्य–
	ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	–शून्य–
	iii रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	–शून्य–
	iv प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	
	v प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।	प्रमाण पत्र संलग्न
11–	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	
12–	प्रभाग/जिला प्रोफाइल	
	i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र।	है.
	ii. जिला का वन क्षेत्र।	है.
	iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	
	iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	है.
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	
	अब... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	
	(क) वन भूमि पर	
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	
13–	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	संस्तुति की जाती है।

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

Scanned by CamScanner

भाग– III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षरः

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

तिथि.....

स्थान.....

Scanned by CamScanner

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17– टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षरः

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

Scanned by CamScanner

(11)

भाग–V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17– राज्य सरकार की सिफारिशः
(उपर्युक्त भाग–।। या भाग–।।। या
भाग–**IV** में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षरः

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

Scanned by CamScanner